साहिबगंज नगर परिषद् कार्यालय, साहिबगंज।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

पत्रांक–819/SBM, दिनांक–17/4/18/

–: आवश्यक सूचना :–

एतद् द्वारा सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि :–

(1). झारखण्ड सरकार के आदेशानुसार प्लास्टिक का प्रयोग, भंडारण व बिक्री आदि प्रतिबंधित है। अतः सभी नागरिको से अनुरोध है कि प्लास्टिक का प्रयोग, भंडारण व बिक्री आदि न करें। अन्यथा नियमानुसार जुर्माना राशि के साथ आपके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(2). सभी माँस दुकानदारों को यह सूचित किया जाता है कि तीन दिनों के अन्दर साहिबगंज नगर परिषद् कार्यालय से NOC आदि प्राप्त कर लाईसेंस लेना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा आपके विरूद्ध झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के तहत् कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(3). सभी टोटो (ई–रिक्शा) चालकों को यह सूचित किया जाता है कि तीन दिनों के अन्दर टैक्स दारोगा से फार्म प्राप्त कर नगर क्षेत्र में रिक्शा परिचालन हेतु निर्धारित शुल्क अदा करते हुए परमिट प्राप्त कर लें। अन्यथा टोटो (ई–रिक्शा) चालको पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(4). सभी दुकानदार अपना–अपना ट्रेड लाईसेंस साहिबगंज नगर परिषद् से प्राप्त कर लें। अन्यथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत् कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(5) साथ ही साथ यह भी सूचित किया जाता है कि जो होल्डिंग धारक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 का होल्डिंग टैक्स 30 जून, 2018 तक अदा करते हैं तो वैसे कर दाता को नियमानुसार 5 प्रतिशत की रियात दी जायेगी।

(6) ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमावली–2016 एवं विभागीय अधिसूचना सं0–1470 दिनांक–15.03.2016 के आलोक में सभी नागरिकों से अनुरोध है कि अपने–अपने घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में गीला एवं सूखा कचरा रखने के लिए अलग–अलग डस्टबीन का उपयोग करेगें। गीला कचरा के लिए हरा डस्टबीन तथा सूखा कचरा के लिए नीला उस्टबीन, जिससे डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले कर्मचारियों को गीला एवं सूखा कचरा संग्रहण में सुविधा होगी। 25 अप्रैल,2018 के उपरान्त आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के केवल पृथकृत कचरा ही लिया जायेगा। कचरा यत्र तत्र फेंकने तथा गंदगी फैलाने पर निर्धारित जुर्माना लिया जाएगा।

17/04/18

कार्यपालक पदाधिकारी,
साहिबगंज नगर परिषद्।

17/4/18

ज्ञापांक–819/न0प0, सा0, दिनांक–17/04/2018/

प्रतिलिपि :–प्रचारक, विजय चौरसिया, साहिबगंज को निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना का प्रचार–प्रसार द्वारा अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र से लगातार तीन दिनों तक सभी वार्डो में करना सुनिश्चित करेंगे (नोट– बाजार, मार्केट एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्रचार–प्रसार करेंगे)।

प्रतिलिपिः– जिला जन सर्म्पक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/04/18

कार्यपालक पदाधिकारी,
साहिबगंज नगर परिषद्।

17/4/18

SWACHHBHARAT MISSION